न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–511/2016 (2016/00511)75पुष्कर

1. हनुमान सिंह पुत्र गुमान सिंह
2. शेर सिंह मेहरा पुत्र हनुमान सिंह
3. राकेश सिंह मेहरा पुत्र हनुमान सिंह
4. रघुवीर सिंह मेहरा पुत्र हनुमान सिंह
5. सुश्री अनिता सिंह मेहरा पुत्री हनुमान सिंह
   समस्त निवासी कमला सिंह नगर कालवाड़ रोड़ मांचवा तहसील व जिला जयपुर हाल मीरशाहअली कॉलोनी, अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. कालू पुत्र सुजा जाति हरिजन निवासी ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर ।
3. हजारी लाल बैरवा पुत्र चिमन लाल निवासी ई–151, रमेश मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 09.11.2016, प्रकरण संख्या 141/2007

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री धर्मवीर चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. श्री महेन्द्र चौहान एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से ।
4. श्री हेमसिंह राठौड़ एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–15.1.2019

01. हस्तगत अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 141/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कालू पुत्र सूजा जाति हरिजन को आवंटन सलाहकार समिति ने अपने आदेश दिनांक 26.09.1971 द्वारा ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1937/2025 में 11 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन)नियम 1970 के तहत् किया गया तथा भूमि का कब्जा आवंटी कालू पुत्र सूजा को सुपुर्द कर दिया गया। आवंटी कालू को आवंटन शर्तो की पालना करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार विवादित भूमि पर प्रदान कर दिये गये। तत्पश्चात अजमेर– पुष्कर रेल मार्ग शुरू होने से उक्त आराजी में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि अजमेर–पुष्कर रेलमार्ग हेतु अवाप्त की गई। शेष भूमि रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि को आवंटी कालू ने अलग–अलग विक्रय पत्रों द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 03 व अपीलांटस को बेचान कर दी। विक्रय पत्र की दिनांक से विवादित आराजी पर अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.09.1971 को किये गये आवंटन से व्यथित होकर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4)के

तहत् प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष मे हुए आवंटन आदेश दिनांक 26.09.1971 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपीलाटस व रेस्पोडेटस संख्या 03 को जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रकरण की जानकारी होने पर अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया,जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.11.2009 द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकर कर उन्हे प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर लिया। तत्पश्चात अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत नियम 14 (4) को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 26.09.1971 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, के आदेश दिनांक 09.11.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया, रेस्पोडेन्टस की ओर से उनके अभिभाषकगण उपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। तत्पश्चात अभिभाषकगण उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू को दिनांक 26.09.1971 को आवंटित की गई थी, उसी दिनांक को लगभग 68 व्यक्तियों को अलग–अलग भूमियों का आवंटन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उक्त समस्त भूमियॉ आवंटन किये जाने से पूर्व भूमि की किस्म बाबत् आवंटन सलाहकार समिति को पूर्ण जानकारी दी गई थी तथा उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात उपलब्ध प्रार्थना पत्रों की पूर्ण जॉच की गई थी। विवादित भूमि आवंटन किये जाने की दिनांक को किस्म गैर मुमकिन टीबा थी जो आवंटन किये जाने योग्य भूमि थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बरवक्त आवंटन भूमिहीन कृषक था। जिसके प्रार्थना पत्र पर पूर्ण जॉच करने के पश्चात उसको भूमि आवंटन की गयी थी एवं आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को भूमि के आवंटन किये जाने की जानकारी प्रारम्भ से थी। तथा उनके द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने पर भूमि के गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। बरवक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सहवन से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। उक्त गलत इन्द्राज के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी जिसे मान्नीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.2000 द्वारा स्वीकार करते हुए भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश दिनांक 01.02.1991 को क्षेत्राधिकार के बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया । साथ ही मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू का आवंटन बदस्तूर रखते हुए उसकी खातेदारी को यथावत रखा। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 10.02.2000 के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक कोई चाराजोही किसी भी न्यायालय में नही की गई है।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर को 36 साल वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू का आवंटन निरस्त करने का कोई अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 विवादित भूमि का खातेदार बन चुका था। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने के कोई तत्व मौजूद नही थें। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू ने भूमि का आवंटन किये जाते समय किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन अथवा मिसरिप्रजेनटेशन नहीं किया था तथा आवंटन आदेश की समस्त शर्तो की पालना उसके द्वारा की गयी थी। उसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) के पैरा संख्या 5 में आवंटन आदेश को निरस्त करने का जो आधार लिया गया था, उक्त आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता था। उक्त प्रार्थना पत्र में यह तथ्य दर्शाये गये कि आवंटितशुदा भूमि पुष्कर पशु मेला क्षेत्र से लगती हुई है एवं मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है तथा आवंटित उक्त भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि अजमेर–पुष्कर रेलमार्ग हेतु अवाप्त की गयी हैं। अतः सार्वजनिक उपयोग एवं राजहित के मध्यनजर उक्त आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आधार पर रेस्पोडेन्ट

संख्या 02 कालू के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता था। प्रथम तो बरवक्त आवंटन किये जाने की दिनांक को उक्त आराजी पुष्कर पशु मेला क्षेत्र से लगती हुई नही थी तथा न ही आज हैं। द्वितीय उक्त भूमि में से अगर कुछ भूमि अजमेर–पुष्कर रेलमार्ग हेतु अवाप्त भी कर ली भी गयी थी तो भी पूर्व में किये गये आवंटन आदेश को उपरोक्त आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा चाही भी गई हो तो केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत् संबंधित को मुआवजा देकर अवाप्त की जा सकती हैं न कि नियम 14 (4) के तहत उपरोक्त आाधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 09.11.2016 को निरस्त फरमाया जावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू के पक्ष में किया आवंटन आदेश दिनांक 26.09.1971 का यथावत् रखा जावें।

5. विद्धान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बहस में कथन किया कि पुष्कर पशु मेला क्षेत्र के समीप होने एवं सार्वजनिक उपयोग में आने से अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कूाल का आवंटन निरस्त किया हैं जो विधि सम्मत हैं। विवादित आराजी जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू को आवंटित की गयी थी में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि अजमेर–पुष्कर रेल मार्ग हेतु अवाप्त किये जाने से विवादित भूमि सही रूप से सिवायचक दर्ज की गई थी जिसकी पालना में सिवायचक का नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 22.09.1991 को तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू द्वारा अपीलांटस को बेचान की दिनांक को विवादित भूमि सिवायचक दर्ज थी जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही था एवं ना ही सिवायचक भूमि को क्रय करने से अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत् रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू के पक्ष में किया गय आवंटन निरस्त किया हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 3 ने अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 09.11.2016 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषकगण उभय पक्षकारान पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कालू जाति हरिजन को ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 1937 / 2025 रकबा 11 बीघा का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत् आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.09.1971 को किया गया । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलांट को गैर खातेदार तत्पश्चात खातेदार दर्ज किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही भू–आवंटन सलाहकार समिति ने विधि सम्मत आवंटन किया हैं। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवंटन किया गया हैं। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्धघोषणा जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच के पश्चात भूमि का आवंटन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त करने का प्रथम आधार खसरा गिरदावरी संवत् 2039 से 2063 में आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त साबित होना नहीं माना है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.6.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन के पश्चात् कालू पुत्र सूजा जाति हरिजन को आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 20.6.1972 को दिया गया था । इसके पश्चात् आवंटी को बेदखल किये जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । यही नहीं खसरा गिरदावरी संवत् 2039 से 2063 तक में बोई गई जींस बाजरा, मोठ, मूंगफली दर्शाई हुई है। इस आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने की उपधारणा किया जाना उचित नहीं है । आवंटी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं होने का आक्षेप दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है । प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) में दूसरा आक्षेप बिना विधिक प्रक्रिया

अपनाये कोरम के अभाव में आवंटन किये जाने का लगाया है किन्तु उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया जाना पाया जाता है । अतः इस आक्षेप की पुष्टि भी नहीं होती है । इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में तृतीय आधार आवंटित भूमि के अन्तराष्ट्रीय पशु मेला क्षैत्र से लगे होने तथा मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने का लगाया गया है । इस संबंध में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि मेला क्षैत्र के लिये प्रश्नगत आवंटित भूमि आवंटित नहीं की गई है अन्य भूमियां इस प्रयोजन हेतु आरक्षित/आवंटित की गई है जो जमाबंदियों को देखने से स्पष्ट है । प्रश्नगत भूमि को मेला क्षैत्र के उपयोग में लेने के आधार की भी पुष्टि नहीं होती है।

उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत नियम 14 (4) में प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करने हेतु जो आधार उल्लेखित किये गये है उनकी पुष्टि उपलब्ध रिकार्ड से नहीं होती है । आवंटी द्वारा यदि किसी आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है तो इस हेतु आवंटी को कोई नोटिस दिया जाना भी रिकार्ड से जाहिर नहीं होता है । इस प्रकार आवंटी द्वारा प्रश्नगत आवंटन के संबंध में आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होता है ।

आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवंटन निरस्त किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया हुआ है ।

"Conditions of Allotment- 14 (4) The collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer or a Tehsildar under the rules repealed by Rule 21 of the rules either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or miseprsentation or has been made against rules or in case the allotee has committed breach of any of the conditions of allotment. provided that no such order to the prdjudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."

उक्त नियम के अनुसार ऐसा आवंटन, जो कपट से अथवा तथ्य छुपाकर अथवा मिथ्या व्यवपदेशन से अथवा नियम विरूद्ध हांसिल किया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लघंन किया गया हो, को जिला कलक्टर निरस्त करने हेतु सक्षम है ।

प्रश्नगत आवंटन आवंटी द्वारा छल या कपट से अथवा तथ्य छुपाकर मिथ्या व्यपदेशन से या नियम विरूद्ध तरीके से कराया गया हो, ऐसा कोई आक्षेप वर्तमान प्रकरण में नहीं लगाया गया है।

8. उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत आवंटन आवंटी को खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् निरस्त किया गया है । इस संबंध में कानून की यह स्थिति है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के पश्चात् आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 86 के बिन्दु संख्या 9 में नियम 14 (4) के संदर्भ में प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी प्रदत्त होने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। खातेदारी अधिकारों के पश्चात् उसे टिनेन्सी अधिकार प्राप्त हो जाते है तथा इन्हें राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत ही समाप्त किया जा सकता है न कि आवंटन नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में आवंटी को सन् 2004 में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । आर0आर0डी0 1986 पेज 137 परथा बनाम पृथ्वीराज में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । इसके अतिरिक्त आर0आर0डी0 2001 पेज 206 नागाराम बनाम राज0 सरकार में एवं आर0बी0जे 1995 (2) पेज 780 में मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन नियम 14 (4) लागू नहीं होता है एवं इसके तहत आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि खातेदारी अधिकार प्राप्त होते ही राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्राप्त अधिकार मिल जाते है । इस तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में रेस्पो0 संख्या 1

का आवंटन नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत आवेदन कानूनन पोषणीयता की श्रेणी में नहीं आता है ।

9. उक्त कानूनी स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 1.2.1991 के विरूद्ध निगरानी संख्या 113/97 आवंटी कालू द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10.2.2000 को निर्णय पारित करते हुए निगरानी को स्वीकार कर न केवल दिनांक 1.2.1991 के आदेश को गैर कानूनी बताया बल्कि स्वेच्छाचारी एवं दोषग्रस्त मानते हुए इसे निरस्त कर दिया तथा आवंटी कालू का आवंटन बदस्तूर रखते हुए उसकी खातेदारी को यथावत् रखा है तथा यह भी आदेश दिया कि आवंटित भूमि से प्रार्थी आवंटी को बेदखल नहीं किया जावे । इस प्रकार स्पष्ट है कि आक्षेपित आवंटन के बाबत् माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 10.2.2000 को पारित किया जा चुका था जिसके विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की चाराजोही किया जाना उपलबध रिकार्ड से जाहिर नहीं होता है । इस प्रकार वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांकित 10.2.2000 अंतिम रूप ले चुका है । मान0राजस्व मण्डल के इस आदेश के प्रभावी रहते अधीनस्थ न्यायालय विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा समान आराजी के बाबत् अन्य आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

10. उक्त समग्र विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रश्नगत आवंटन विद्यमान आवंटन नियमों के तहत उचित रूप से किया गया है तथा विधिविरूद्ध नहीं है ।

11. उक्तानुसार विधिक त्रुटियों के मध्यनजर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का प्रकरण संख्या 141/2007 में पारित आदेश दिनांकित 9.11.2016 को यथावत् नहीं रखा जा सकता है तथा इसी कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

12. फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 141/2007 में पारित आदेश दिनांकित 9.11.2016 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

. आदेश आज दिनाक 15.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर